International Journal of Social Science and Humanities
www.humanitiesjournals.com
Online ISSN: 2664-8628
Received: 10-12-2025, Accepted: 25-01-2026, Published: 12-02-2026
Volume 8, Issue 1, 2026, Page No. 99-102

आपदा प्रबन्धन एवं संकट समाधान में ग्राम पंचायत की भूमिका : बिहार राज्य के सन्दर्भ में

अमरकांत पासवान
शोधार्थी, वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

सारांश
विगत कुछ दशकों में ऐसा देखा गया है, बिहार राज्य आवर्ती प्रकृति की कतिपय आपदाओं से ग्रसित रहा है। इन आपदाओं से निजी एवं सरकारी जानमाल की क्षति होती है, अर्थव्यवस्था क्षत–विक्षत होती है तथा प्रभावित आबादी का भीषण दुख एवं कठिनाई से सामना होता है। ऐसा महसूस किया जाता है कि इनमें से कई आपदाएँ परिहार्य है, या/और ऐसी है जिनका निवारण एवं न्यूनीकरण किया जा सकता है। समय आ गया है कि राज्य के विभिन्न हिस्से में नियमित रूप से और अवसर आनेवाली इन प्राकृतिक आपदाओं पर दृष्टिपात करते हुए इनके प्रभावों को घटाने एवं प्रभावित आबादी को सहायता मुहैया करने हेतु एक रणनीति का निर्धारण किया जाय। ससमय एवं दक्षतापूर्वक तैयार की गई कार्ययोजना से अचानक आनेवाली किसी आपदा के समय भी अनेक जिन्दगियों और विशाल सम्पति को बचाया जा सकता है, क्योंकि सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र एवं समुदाय को कुशलतापूर्वक विनिर्धारित एक कार्य योजना के कार्यान्वयन में लगाया जा सकता है। आपदा के समय तत्काल सहायता के लिए स्थानीय समुदाय, उसके संगठन एवं सरकारी व गैर–सरकारी संस्थाओं का महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। यदि सहायता पहुंच भी जाए तो कहां किस प्रकार की मदद जरूरी है. वह भी स्थानीय समुदाय ठीक तरह से तय कर सकता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि स्थानीय समुदाय को आपदाओं के प्रति जागरूक करना चाहिए। हमारे देश में ग्रामीण स्तर पर पंचायतें गठित की गई है। अनेक सामाजिक संगठन सहायता एवं सहयोग के लिए कार्य करते हैं। यदि ये सभी आपदा के समय मिलकर उनका सामना करें तो ऐसे संकटों का प्रभाव घटाया जाना संभव है।

मूल शब्दः आपदा प्रबन्धन, संकट समाधान, ग्राम पंचायत, आपदा पुनर्वास केन्द्र, सामुदायिक आपदा प्रबन्धन कोष

आपदा अचानक घटने वाली वह घटना है जिससे सामान्य जन–जीवन अस्त–व्यस्त हो जाता है। अचानक लोगो के जान–माल का इतना भारी नुकसान हो जाता है कि जीवन को फिर से पटरी पर लाने के लिये विशेष सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था और सधन प्रयास की आवश्यकता होती है। आपदा दो प्रकार की हो सकती हैः प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा में बाढ़, भूकम्प, सुखाड़, आँधी–तुफान, चक्रवात, सुनामी, महामारी आदि शामिल है। मानवजनित आपदा में आगजनी, बम विस्फोट, यातायात सम्बन्धी बड़ी दुर्घटना, आतंकी हमला, असामाजिक तत्वों द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया नरसंहार या अत्याचार आदि घटनाएँ आती है।

पहले ऐसे किसी संकट की घड़ी में कोई व्यक्ति, संस्था या सरकार राहत या बचाव कार्य करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो लेती थी। परन्तु अंतरिक्ष विज्ञान और सूचना तकनीक के वर्तमान दौर में जब हमें कई तरह की आपदाओं की पूर्व सूचना मिल जाती है तो आसन्न आपदा से सम्भावित जान–माल की क्षति से हम बच सकते है अथवा उसको हम प्रबंधन कहते है। इसमें पंचायतों की अहम भूमिका देखी जा रही है। क्योंकि शासन और प्रशासन के तत्र को तो आपदा स्थल पर सहायता पहुंचानी होगी, परन्तु पंचायत तो वहीं मौजूद होती है। अतः उपलब्धता तथा पहुँच की दृष्टि से आपदा प्रबन्धन में पंचायत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

इस तरह, आपदाएँ अनेक प्रकृति की होती है। केन्द्र सरकार द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय कमिटी ने 31 प्रकार की आपदाओं को चिन्हित किया है, जिन्हें पाँच श्रेणियों में रखा गया है। उपलब्ध ऑकड़ों के आधार पर राज्य में बहुधा आनेवाली/ होनेवाली आपदाएँ निम्नांकित हैः–

1. सूखा,
2. बाढ़,
3. भूकम्प,
4. अग्निकांड,
5. औद्योगिक एवं रासायनिक आपदाएँ,
6. दुर्घटनाएं,
7. महामारियाँ इत्यादि।

हरेक आपदा की पृथक प्रकृति होती है। फलतः इनके निरोध और न्यूनीकरण के लिए अलग प्रकार की कार्ययोजना की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार प्रबंधन योजना के लिए भी तैयारी, अनुक्रिया और प्रतिलाभ के लिए विशिष्ट योजना की आवश्यकता होती है। यद्यपि इनमें कुछ साम्य हो सकता है।

जरूरी है आपदा प्रबन्धन

आपदाओं के न्यूनीकरण और प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रकार की पहल करने की जरुरत होती है। सरथानों संगठनों एवं केन्द्र और राज्य स्तरीय सरकारी एजेसियों की पहचान करनी होगी तथा आपदाओं की रोकथाम, न्यूनीकरण और प्रबंधन के लिए रणनीति बनाने में सम्मिलित करना होगा।

आपदा प्रबन्धन के तीन भाग हैः पूर्व तैयारी, आपदा घटित होने के दौरान कार्यवाही तथा आपदा घटित होने के बाद की तैयारी और कार्यवाही। तीनों स्थितियों में आपदा प्रबन्धन का मूल आधार होता है सहयोग, सहभागिता एवं संपर्क। इसमें एक भी तत्व की कमी से आपदा प्रबन्धन अधूरा एवं असफल रहता है।

आपदा प्रबन्धन में पूर्व तैयारी के समय जनसहयोग की आवश्यकता पड़ती है। आपदा घटित होने पर जन सहभागिता की आवश्यकता पड़ती है तथा आपदा घटित होने के बाद जन संपर्क की जरुरत पड़ती है। इन तीनों ही स्थितियों में नीचे लिखी दस बातों पर ध्यान देना जरुरी हैः

1. आपस में चर्चा,
2. जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता,
3. रोशनी / बिजली की व्यवस्था,
4. यातायात की व्यवस्था,
5. भोजन,
6. सूचना,
7. राहत पहुँचाने से सम्बन्धित कार्य,

8. पीने का पानी,
9. ठहरने की जगह तथा
10. बाहर की दुनिया से सम्पर्क साधने के उपाय ।

परन्तु, आपदा प्रबन्धन की रीढ़ 'पूर्व तैयारी' है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैः

- आपदा आने के स्त्रोत का चित्रण अर्थात् अगर बाढ़ आने की आशंका है, तो पानी का बहाव किस तरफ से आकर किधर जायेगा। फिर उसी को ध्यान में रखकर आवश्यक प्रबन्धन करना।
- आपदा आने पर कौन–कौन से काम करने होंगे और किस पर किस काम की जिम्मेदारी होगी।
- समय–समय पर प्रशिक्षण एवं अभ्यास।
- भोजन, जीवनरक्षक दवाईयाँ तथा अन्य जरुरी चीजें उपयुक्त स्थान पर पर्याप्त मात्रा में रखने की व्यवस्था।
- राहत सामग्री को लोगों तक पहुँचाने की व्यवस्था।
- आपस में तालमेल और संवाद ।
- औरतों एवं बच्चों के रहने की व्यवस्था ।
- मवेशियों / पालतू पशुओं को रखने का इन्तजाम ।
- शौच, सुरक्षा आदि की व्यवस्था।
- शुद्ध, पीने लायक पानी का प्रबंध।

पहले भी गाँवों में हम सामाजिक सहयोग से इस तरह की व्यवस्था करते थे। बरसात के समय सूखी लकड़ी आदि की व्यवस्था, अचार, तैयार नाश्ते का सामान, बेसन, हल्की भोजन सामग्री, दियासलाई, बड़ी, पापड़ आदि की व्यवस्था पहल से ही करके रखते थे जिससे कि बरसात या बाढ़ आने पर कोई परेशानी न हो। यहाँ तक कि ऊँची जगहों पर बने मकान में रहने वाले लोग अपने दालान आदि में नीची जगहों पर रहने वाले लोगों के रहने के लिये व्यवस्था करते थे और स्वविवेक का परिचय देते थे। ठीक उसी तरह, आपदा प्रबन्धन में समाज और इस प्रकार समुदाय के लिये बड़े पैमाने पर यथाशीघ्र सारी व्यवस्था करना पंचायत की एक प्रमुख जिम्मेदारी है।

आपदा प्रबन्धन में पंचायतों की भूमिका

हमारे बिहार का पूरा उत्तरी क्षेत्र गोपालगंज से लेकर किशनगंज तक तथा गगा के दक्षिणी भूभाग में बक्सर से लेकर बाँका तक का क्षेत्र किसी–न–किसी आपदा की सम्भावना से ग्रसित है। बाढ, सुखाड, भूकम्प, आगजनी, आतंकवाद, आदि दुर्घटनाओं से यहाँ के लोगों को दो–चार होना पड़ता है। नेपाल से सटे बिहार के उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्र को भूकम्प प्रभावित क्षेत्र माना गया है। करीब–करीब पूरा बिहार प्रदेश ही देश के आपदा की गहन सम्भावना वाले क्षेत्रों में से एक है। अतः हमारे लिये स्थानीय विकास के साथ–साथ आपदा प्रबन्धन का भी सोच विकसित कर इस दिशा में कार्य करना आवश्यक है।

बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पंचायतों के लिये आपदा प्रबन्धन के संदर्भ में यूँ तो राहत, बचाव, सहायता आदि की ही चर्चा है परन्तु क्रियान्वयन की दृष्टि से स्थिति इस प्रकार हैः

1. ग्राम सभा स्तर पर

धारा 10 (क) अनुसार "ग्राम पंचायतों के कार्यों एवं स्कीमों और अन्य कार्यकलापों, जो उस ग्राम से सम्बन्धित हो, को पर्यवेक्षण करने और उनसे संबंधित रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत करने के लिये ग्राम सभा एक या एक से अधिक निगरानी समितियों को गठित कर सकेगी, जिसमें वैसे व्यक्ति होंगे जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं हो।"

2. ग्राम पंचायत स्तर पर

अध्याय 3, धारा 22

" ग्राम पंचायत निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कार्यों का निष्पादन करेगी

1. सामान्य कार्य
2. पंचायत क्षेत्र के विकास के लिये वार्षिक योजनाओं को तैयार करना
3. वार्षिक बजट तैयार करना
4. प्राकतिक संकट में सहाय्य कार्य करने की शक्ति
5. लोक सम्पत्ति से अतिक्रमण हटाना
6. स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना और सामुदायिक कार्यों में सहयोग करना
7. गाँवों के अनिवार्य सांख्यिकी आंकडो का संधारण"

इन सामान्य कार्यों में तीन कार्य ऐसे हैं जिनके अर्न्तगत ग्राम पंचायत आपदा प्रबन्धन पर काम कर सकती है। पहला, सामान्य कार्य संख्या (6) के अन्तर्गत अपने क्षेत्र में पूर्व में आई आपदाओ एवं उनसे हुये क्षति के विषय में आँकड़े इकठ्ठे करके एक नक्शा बनवा सकती है। दूसर, समान्य कार्य (5) के अन्तर्गत स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित कर उन्हें आपदा के संदर्भ में प्रशिक्षित कर सकती है। तथा तीसरा, सामान्य कार्य (3) के अन्तर्गत वह सहाय्य कार्य की योजना निर्माण कर सकती है।

इसके अतिरिक्त अध्याय 3, धारा 33 के अन्तर्गत आपदा प्रबन्धन के संदर्भ में ग्राम पंचायत के लिये विशेष प्रावधान किये गये हैं

धारा 33 "ग्राम रक्षा दल का गठन सामान्य पहरा तथा निगरानी एवं आकस्मिक घटनाओं यथा अगलगी, बाढ़, बाँध में दरार, पुल का टूटना, महामारी का फैलना तथा चोरी या डकैती आदि का सामना करने, सरकार द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्यों को सम्पादित करने तथा सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिये विहित रीति से नियुक्त एक दलपति के अधीन प्रत्येक ग्राम पंचायत के अन्तर्गत एक ग्राम रक्षा दल गठित किया जा सकेगा और ग्राम के 18 से 30 वर्ष के बीच के शारीरिक रुप से सभी योग्य व्यक्ति उक्त दल के सदस्य होंगे। ग्राम रक्षा दल के गठन, कर्तव्य एवं उपयोग के लिये सरकार नियम बनायेगी।"

इस धारा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत आपदा प्रबन्धन एवं संकट समाधान के क्षेत्र में नियोजित ढंग से सबकुछ कर सकता है। इसके लिये इसे एक प्रशिक्षित दल भी उपलब्ध है। इस दल को आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिलवा देने मात्र से ही बहुत सी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

3. पंचायत समिति स्तर पर

अध्याय 4, धारा 42" प्रमुख की शक्ति, कार्य और दायित्व

घ पंचायत समिति क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जन–जीवन को तत्काल राहत देने के प्रयोजनार्थ इसे (प्रमुख को) एक वर्ष में कुल पच्चीस हजार रुपये तक की राशि स्वीकृत करने की शक्ति होगी।"

अध्याय 4, धारा 47

- "पंचायत समिति के कार्य एवं शक्तियाँ।"
- "प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्ति को राहत देना।'

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में दिये इन प्रावधानों के अतिरिक्त आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में पंचायत समित्ति और अपनी विशेष बैठक बुलाकर प्रस्ताव पारित करके जिला परिषद् से समाधान के लिये अनुरोध कर सकती है।

4. जिला परिषद स्तर पर

"अध्याय 5. धारा 69

(ड़) जिला में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत देने के लिये उसे एक वर्ष में कुल एक लाख रुपये तक की राशि स्वीकृत करने की शक्ति होगी।

परन्तु जिला परिषद की अगली बैठक में अध्यक्ष ऐसी स्वीकृति का ब्योरा जिला परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसकी स्वीकृति लेगा।

इसके अलावा, धारा 73 के अंतर्गत जिला परिषद् के कार्य एवं शक्तियों में यह भी प्रावधान किया गया है कि "धारा 73, 21 (घ) संकटग्रस्तों को राहत देने हेतु उपाय करेगी।"

इस प्रावधान में दिये 'उपाय' के तहत आपदा प्रबन्धन के कुछ आयामों पर जिला परिषद् पहल कर सकती है। जैसे, सरकार, उसके विभागों एवं अन्य स्त्रोतों से सम्पर्क करना तथा सहायता प्रस्ताव बनाकर उन्हें प्रस्तुत करना तथा मंजूर कराना आदि।

त्रिस्तरीय पंचायत में आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में ग्राम पंचायत की सबसे अहम् भूमिका है। इसके लिये उसके पास ग्राम रक्षा दल के रुप में एक विशेष माध्यम भी है। चूँकि भारत की 70 प्रतिशत आबादी गाँवों में रहती है और इसके व्यवस्थापन की जिम्मेदारी पंचायतों के हाथ में सौंप दी गई है, अत इनके प्रतिनिधियों का आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में क्षमतावर्द्धन अति आवश्यक हो जाता है। साथ में, यदि ग्राम रक्षा दल को उस क्षेत्र में होने वाली आपदाओं से निबटने के लिये समुचित प्रशिक्षण दिया जाये तो आपदा प्रबन्धन के लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत हद तक आसान हो जायेगा। उदाहरण के लिये, बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों में ग्राम रक्षा दल को डूबते हुये को बचाने, प्राथमिक उपचार, पानी साफ करने की विधि, ओ० आर० एस०, ब्लीचिंग पाउडर, डी० डी० टी० आदि के समुचित उपयोग की जानकारी देकर जन–जीवन में होने वाली तबाही को बहुत हदतक कम किया जा सकता है।

आपदा प्रबन्धन के आयाम

आपदा प्रबन्धन के अन्तर्गत प्रमुख रुप से छः कार्य करने होते है। वे हैः

- एहतियात,
- रोकथाम के उपाय,
- पूर्व तैयारी,
- राहत,
- बचाव एवं
- पुनर्वास।

इन सभी कार्यों की प्रकृति आपदा विशेष के स्वरुप के अनुरुप होती है, इसके लिए प्रशिक्षण जरुरी है। इन छह कार्या में पहले तीन तो ग्राम पंचायत को अपने अपने स्तर पर अवश्य करना चाहिये। बाँकी तीन के लिये पंचायत समिति एवं जिला परिषद से योगदान अथवा सहयोग लेने की आवश्यकता पड़ सकती है।

परन्तु आपदा प्रबन्धन के इन सारे कार्यों में पंचायतों के सहयोग के अलावा जनसहभागिता अत्यंत आवश्यक है।

हर स्तर पर आपदा प्रबन्धन की सफलता सबसे ज्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि जनसहभागिता किस तरह की और किस हद तक प्राप्त हो सकी है। और इस संदर्भ में हमे हमेशा याद रखना चाहिए कि सहयोग 'स्व' से शुरु होकर जब 'अन्य' तक पहुँचता है तभी साकार होता है। अतः सहायता का क्रम कुछ इस प्रकार होना चाहिये :

▪ स्वयं सहायता

यह बात सर्वविदित है कि जब तक स्वयं प्रयास न किया जाये तबतक बाहरी सहायता अधिक फलित नहीं होती। सबसे बड़ी बात है कि इसे प्राप्त करने के लिये किसी को कहीं जाना नहीं पड़ता। यह हर समय, हर जगह हम अपने साथ रखते हैं।

▪ स्थानीय सहायता

आपदा की स्थिति में बाहरी मद्दों में स्थानीय सहायता ही सबसे पहले काम आती है। इसीलिये स्थानीय व्यवस्था का होना परम आवश्यक है और उसे सुनिश्चित करना आपदा प्रबन्धन का एक अहम हिस्सा है।

▪ प्रशासनिक सहायता

सहायता के इस स्त्रोत तक खबर पहुँचने से लेकर मदद पहुँचने तक काफी समय लग जाता है। क्योंकि इनके काम करने का अपना तरीका होता है जिससे हटकर सामान्यतया यहाँ कोई कुछ नहीं करना चाहता। इसी कारण अमेरिका जैसे विकसीत देशों में भी प्रशासनिक मदद पहुँचने में लगभग ***72*** घंटो तक का समय लग जाता है। इसके अलावा, प्रशासन के सहायता पहुँचाने क अपने मापदण्ड हैं। उसे इन्हें ही पूरा करने की चिंता होती है। उससे आगे किस स्तर से कौन आदेश दे रहा है। इस पर विचार करना होगा।

▪ सरकारी सहायता

यह सबसे बाद में मिलने वाली सहायता है। यह पुनर्वास की स्थिति से ज्यादा जुड़ी है। यह सरकार से सरकार के बीच की बात है। इसका आधार आपदा नहीं आपदा के आकलन रिपोर्ट को किस हद तक स्वीकृत किया जाता है, उस पर निर्भर करता है। आपदा प्रबंधन एवं संकट समाधान के लिये पंचायतो को, विशेषकर ग्राम पंचायत को, अपनी योजना बनाकर स्वयं सहायता एवं स्थानीय सहायता तथा ग्राम रक्षा बल के आधार पर जरुरी कदम उठाने चाहिये। प्रशिक्षण और 'हरदम तैयार' वाली स्थिति पर अधिक ध्यान देना चाहिये। क्योंकि आपदा के समय जन अपेक्षाओं का सामना सबसे पहले पंचायतों, विशेषकर ग्राम पंचायत, को ही करना होता है। उन्हें संकट से जूझती जनता की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना है।

आपदा पुनर्वास केन्द्र की स्थापना

गांव में आपदा पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। ये केन्द्र इतने चुस्त–दुरुस्त रहें कि सूचना मिलते ही राहत की व्यवस्था निर्धारित स्थान पर पहुंच जाए। हमारे देश में आपदा राहत केन्द्र एवं पुनर्वास केन्द्र आम दिनों में उपेक्षित ही रहते हैं। जहां जिस प्रकार की आपदाएं आने की संभावना ज्यादा रहती है, वहां उन केन्द्रों पर उसी के अनुरूप तैयारियां की जानी चाहिए। इन केन्द्रों पर दवाईयां, भोजन, पानी, टेन्ट, कपड़े, कंबल आदि सामग्री के सुरक्षित भंडार उपलब्ध रहे। आपदा प्रबन्धन के लिए स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। पुनर्वास की व्यवस्था टिकाऊ, प्रभावी व पर्याप्त सूझबूझ एवं समुचित संयोजन पर आधारित होनी चाहिए।

सामुदायिक आपदा प्रबन्धन कोष की व्यवस्था

समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन के लिए संस्थानीकरण के अलावा अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकता है व्यय हेतु कोष जुटाना। स्थानीय समुदाय के नियंत्रण में एक कोष का विकास किया जाना चाहिए। इसके लिए घर–घर से चदा जुटाकर सामुदायिक आपदा कोष बनाया जाए। सरकार भी आनुपातिक मदद करे। कोष में लोग अपनी आय का एक अंश अपनी सुरक्षा के लिए नियमित रूप में देते रहे। इन निधियों का इस्तेमाल आपदाओं का बुरा असर कम करने के लिए तत्काल किया जा सकता है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि गांवों में दुर्घटनाएं रोकने, उन पर नियंत्रण करने एवं निपटाने में पंचायतों को

सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए। इस हेतु निम्नानुसार उपाय किए जा सकते हैं–

- पंचायत घर में फोन की सुविधा हो एवं प्रशासनिक कार्यालयों, पुलिस नियंत्रण कक्ष, अस्पताल, अग्निशमन केंद्रों के दूरभाष नम्बर की सूची लगी होनी चाहिए।
- लोगों को सड़क पर चलने तथा वाहन चलाने के नियमों का ज्ञान कराना चाहिए। सडक, मार्गों एवं मोड़ों पर आवश्यक संकेतक लगाने चाहिए।
- सड़कें चौड़ी करवाना, समय–समय पर मरम्मत करवाना, बाईपास बनवाने, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, रेलवे क्रॉसिंग, नदियों पर पुल आदि बनवाने चाहिए।
- सरकारी कार्यालयों, बसों एवं सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट–बीड़ी पीने पर कानूनन रोक है। इसका सख्ती से पालन कराएं।
- कीटनाशक दवाओं के प्रति सावधानी रखने की जानकारी दी जानी चाहिए।
- लोगों की आग से सुरक्षा के उपाय शिखाने चाहिए। अग्निशमन यंत्र एवं आग बुझाने की सामग्री, बाल्टियां, कुदाली, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स आदि भी पंचायत में उपलब्ध होने चाहिए।
- गांव के उत्साही तथा सेवा–भावी नौजवानों का एक दल बनाना चाहिए। इन्हें दुर्घटनाओं एवं आपदाओं से निपटने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इन युवकों को अग्निशमन्, प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी दी जानी चाहिए।
- मृत्यु एवं प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली हानि के पुनर्भरण हेतु सरकार तथा बीमा कम्पनियों की विभिन्न योजनाएं है जिनकी जानकारी देकर पीड़ितों को सहायता दिलानी चाहिए।
- आपदा में फंसे लोगों के लिए भोजन, शुद्ध जल एवं आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए।

आमतौर पर यह समझा जाता है कि आपदा प्रबंधन सरकार का काम है इसलिए हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। विडम्बना यह है कि आपदाओं का मुख्य शिकार तो आम आदमी होता है। इसलिए जरूरी है कि हम नागरिक पहल करके आपदाओं पर काबू पाने का प्रयत्न करें। आपदा के समय एवं बाद में भी लोगों के पुनर्वास का उचित प्रबन्ध करें। आपदा प्रबन्धन में सही निगरानी और मूल्यांकन भी एक महत्वपूर्ण घटक है। यदि हम आपदा का सही मूल्यांकन कर सकें तो राहत भी सही तरीके से पहुंचा सकते हैं। आपदाओं में हमें धीरज, विवेक, सहनशीलता से निबटना चाहिए। आपदाओं से बचने के लिए मानव समाज का संवेदनशील होना बेहद जरूरी है।

सन्दर्भ सूची

1. टावरी, कमल (2006) आपदा प्रबंधन एवं पंचायती राज सशक्तिकरण, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
2. पाठक, उमा (2024), आपदा प्रबन्धन, अग्नि प्रकाशन, नई दिल्ली
3. पाठक, गणेश कुमार (2021) आपदा प्रबन्धन, राजेश पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
4. बर्णवाल, महेश कुमार एवं वर्मा, कुणाल (2023) आपदा एवं आपदा प्रबन्धन, कॉस्मोस पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
5. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006
6. मिश्र, सुनीत कुमार (2022), आपदा प्रबन्धन, नित्या पब्लिकेशन्स, भोपाल
7. सिंह, सविन्द्र (2024), आपदा प्रबन्धन, प्रवालिका पब्लिकेशन्स, प्रयागराज
8. www.bsdma.org
9. www.nitiforstates.gov.in